

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT  
ENVIRONMENT DEPARTMENT**

**Notification**

The 25th September, 2017

No. S.O. 66/C.A. 29/1986/S. 5 and 7/2017.-- Whereas representations were received from Screening Plants owners in the State to review the siting parameter of Screening Plants for existing units;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), read with Government of India, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forest and Wildlife, notification No. S.O. 152(E), dated the 10th February, 1988, and in pursuance of the provision of section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, with reference to the Haryana Government, Environment Department, notification No. S.O. 57/C.A.29/1986/S.5 and 7/2017, dated the 2nd August, 2017 the Governor of Haryana hereby proposes to makes the following amendment in Haryana Government, Environment Department, notification No. S.O.5/C.A.29/1986/S.5 and 7/2016, dated 10th March, 2016; namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Environment Department, notification No. S.O.5/C.A.29/1986/S.5 and 7/2016, dated 10th March, 2016, in Schedule I, under columns 1, 2 and 3, for serial numbers 13 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3
"13.	Minimum distance from any educational institution	0.25".

**DHEERA KHANDELWAL,**  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Environment Department.

## भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 सितम्बर, 2017

संख्या का०आ० 66/के०अ० 29/1986/घा० 5 तथा 7/2017.— चूंकि, राज्य में स्क्रीनिंग संयंत्र स्वामियों से वर्तमान इकाईयों के लिए स्क्रीनिंग संयंत्र के निर्धारित पैरामीटरों का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे;

इसलिए, अब भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 152 (ई०), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 57/के०अ० 29/1986/घा० 5 तथा 7/2017, दिनांक 2 अगस्त, 2017 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का आ० 5/के०अ० 29/1986/घा० 5 तथा 7/2016, दिनांक 10 मार्च, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात्:-

## संशोधन

हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 5/के०अ० 29/1986/घा० 5 तथा 7/2016, दिनांक 10 मार्च, 2016, में, अनुसूची 1 में, खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 13 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3
"13.	किसी शैक्षिक संस्था से न्यूनतम दूरी	0.25"

धीरा खण्डेलवाल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पर्यावरण विभाग।